सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बागावास चौरासी, कैम्प दिनांक 21.05.2018

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या : 14 / 2016 दायर तारीख : 17.02.2016

1. बनारसी
2. फूली — पुत्रीयां हनुमान
3. अमरूदी
4. सम्पति

5. नाथू
6. म्दन — पुत्रान हनुमान
7. किशन
8. श्रवण

समस्त जाति कुम्हार निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—— प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

बनाम

1. धूणीलाल पुत्र बोदिया जाति कुम्हार निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। **—— अप्रार्थी / वादी**
2. तहसीलदार / उपपंजीयक विराटनगर तहसील विराटनगर
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—— अप्रार्थीगण / प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित 151 सी.पी.सी. विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2015 उनवानी वाद धूणीलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह वाद संख्या 64 / 2005

उपस्थित : – श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– .....

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 धारा 151 का निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध उनवानी वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी नक्शा खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत हाल खसरा नम्बर 1654, 1754, 1755, 1756 के बजाय वर्तमान खसरा नम्बर 1758 मे से 0.73 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व नक्शा खसरा क्षेत्रफल में दुरूस्ती करवाने का वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप में दिनांक 03.09.2015 को डिक्री करवा लिया।

प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का विवाह होने बाद ससुराल में निवास करने तथा प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के बाहर गये हुए होने से प्रार्थीगण का उनके अधिवक्ता से किसी प्रकार सम्पर्क नहीं हो सका, इस कारण प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकरण हाजा में दिनांक 06.01.2015 को No Instration Plead कर दिया। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पैरवी करने से इन्कार करने पर प्रार्थीगण को जरिए नोटिस सूचित कर तलबी किया जाना आवश्यक था, लेकिन न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को बिना सूचना व तलबी किये एकपक्षीय रूप में दिनांक 03.09.2015 को वाद में डिक्री पारीत की गई, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 1758/1.63 हैक्टेयर रही है, जिस पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त रहे है। उक्त आराजी कृषि भूमि प्रार्थीगण की आजीविका का साधन है, इस कारण भी प्रस्तुत मामले में तथाकथित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्तकिया जाकर प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखे जाने एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 द्वारा एवं प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता द्वारा प्रकरण हाजा में अपना जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम दिनांक 22.03.2006 को पेश किया था, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 1757, 1758 पर अपना कब्जा होना बताया था, इसके संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2008 को तनकी नम्बर 3 कायम की गई तथा काउन्टर क्लेम में हाल खसरा नम्बर 1758/1.63 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर–बराबर घोषित किये जाने की डिक्री चाही गई थी, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 4 कायम की गई, इसके साथ ही प्रार्थीगण ने अपने समस्त दस्तावेजात जमाबन्दी, नक्शा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल, लगान आदि की रसीद आदि पेश किये गये थे, इन सब पर न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर मात्र वादी के वादपत्र दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर ही वादी का वाद एकपक्षीय रूप में डिक्री किये जाने से प्रश्नगत निर्णय व डिक्री अपास्तनीय है।

प्रार्थीगण प्रस्तुत मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने व वाद में अपना प्रतिरक्षण रखने से वंचित रहे है, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय पारीत करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार के द्वारा पेश तथ्यों, जवाबदावा व दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाकर निर्णय एवं डिक्री पारीत की जानी चाहिए थी, इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए जो प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारीत की गई है, वह अपास्तनीय है।

यदि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2015 को अपास्त नहीं किया गया तथा प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की आड में प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर अन्य को स्थानान्तरण करने व स्वयं जबरन कब्जा करने में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2015 को अपास्त की जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई व अपनी साक्ष्य लिखित व मौखिक पेश करने का समुचित अवसर दिए जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

3. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए, तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
4. अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब रहा कि कोई भी अधिवक्ता एक–दो पेशीयों पर पक्षकार के उपस्थित नहीं होने मात्र से ही No Instration Plead नहीं करता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 कब–कब और कहां बाहर गये तथा कितनी अवधी से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क में नहीं आये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा No Instration Plead करने से लेकर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधी दिनांक 15.02.2016 करीब 13 महिने तक भी अपने वकील से क्यों नहीं मिले का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, महज बाहर जाने का कथन कर देने से एकपक्षीय डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती है। तथाकथित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी हुई है एवं

प्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता प्रकरण में हाजिर भी हुए है, ऐसे में तामील नहीं होने का कथन गलत है। यह भी कि हाल खसरा नम्बर 1758/1.63 हैक्टेयर सरकारी भूमि रही है, जिससे प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है, मौके पर साबिक रिकार्ड के मुताबिक अप्रार्थी/वादी उक्त खसरा नम्बर के 0.73 हैक्टेयर के मध्य भाग पर काबिज होकर काश्त करता रहा है, जो भूमि वादी/अप्रार्थी के पिता के हक में कब्जे काश्त के आधार पर नियमन हुई थी। यह भी कि एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने एवं साक्ष्य प्रतिवादी में गवाहान के पेश नहीं करने की स्थिति मे जवाबदावा के आधार निर्णय नहीं रोका जा सकता बल्कि बहस अन्तिम सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों एवं तथ्यों का विश्लेषण करके ही निर्णय पारित किया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, न ही उक्त निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अप्राथ्री/वादी को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को उपयोग–उपभोग में लेने के पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2015, नकल आदेशिका आदि पेश किये।

6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बागावास चौरासी में पेश हुआ, मजमे आम सुनवाई की गई तथा उपस्थित पक्षकार एवं अधिवक्तागण को सुना गया।

   विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विस्तृत रूप से दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

   अप्रार्थी की बहस रही कि प्रार्थी को दावा मुकदमा नम्बर 95/1997 निर्णय दिनांक 02.03.2001 की पूर्ण जानकारी रही है, प्रार्थी तथाकथित वाद में जरिए अधिवक्ता उपस्थित आया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

   पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने दावा उनवानी धूणीलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह मुकदमा नम्बर 64/2005 पेश किया, जिसमें अप्रार्थीगण के पिता एवं स्वयं अप्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया था। प्रार्थी/प्रतिवादीगण की तामील का अवलोकन करने पर पाया गया

Web Copy - Not Official

कि उनकी तामील स्वयं अथवा उनके पिता या भाई पर हुई है, तथा प्रतिवादी/प्रार्थी तथाकथित प्रकरण के संबंध में में अपना जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम दिनांक 22.03.2006 को पेश किया है। प्रकरण की समस्त जानकारी होने तथा न्यायालय में हाजिर होने उपरान्त तथा अधिवक्ता द्वारा No Instration Plead करने पर, प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा चाराजोही नहीं करने पर दिनांक 06.01.2015 को न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई, जिसे विधिसंगत एवं न्यायसंगत पाता हूॅ। यह भी कि अधिवक्ता एक–दो पेशीयों पर पक्षकार के उपस्थित नहीं होने मात्र से ही No Instration Plead नहीं करता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि प्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 कब–कब और कहां बाहर गये तथा कितनी अवधी से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क में नहीं आये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा No Instration Plead करने से लेकर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधी दिनांक 15.02.2016 करीब 13 महिने तक भी अपने वकील से क्यों नहीं मिले का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, महज बाहर जाने का कथन कर देने से एकपक्षीय डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती है। तथाकथित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी हुई है एवं प्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता प्रकरण में हाजिर भी हुए है, ऐसे में तामील नहीं होने का कथन गलत है। तामील के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी के अभिकथनों मे सार नहीं पाता हूॅ। प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष रखने जवाबदावा पेश करने का पूर्ण अवसर दिया गया, फिर भी प्रार्थी द्वारा अपना प्रतिरक्षण नहीं किया गया। निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2015 के द्वारा वादी को ग्राम बागावास चौरासी के वर्तमान खसरा नम्बर 1654, 1754, 1755, 1756 के बजाय खसरा नम्बर 1758 मे से 0.73 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया गया है। जहां तक प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रश्न है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है, इसके संबंध में DNJ 2008 (2) में स्पष्ट उल्लेखित है कि '' सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 9 नियम 13 परिसीमा अधिनियम, 1963 अनुच्छेद 123 एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाना–एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किये जाने का आवेदन दायर किये जाने के लिए 30 दिनों की अवधि, डिक्री की तिथि से लागू होगी–जहां तक कि जानकारी की तिथि का प्रश्न है वह, वही सुसंगत है, जहां पर सम्मन तथा नोटिस की सम्यक तामिल नहीं हुई हो–इस मामले में आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन, परिसीमा अवधि बीतने के

पश्चात बिना देरी की क्षमा के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन के दायर किया गया–निर्णित, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन के अभाव में देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण को प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी रही है। दावा के समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। दावा दिनांक 03.09.2015 को सही रूप से निर्णय डिक्री किया गया है। अब पुनः उसी विषय पर सुनना तथा प्रकरण को फैसल करना पक्षकारो के मध्य विवाद को बढावा देने तथा वादों की बहुलता को बढाने में सहायक होगा। अतः वाद की बहुलता को रोकने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ।

7. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ एवं पूर्णतः सन्तुष्ट हूॅ कि प्रश्नगत वाद में प्रार्थी की सम्यक तामील हुई, तथा उसे वाद की सम्पूर्ण जानकारी रही है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये हैं, परन्तु उन अवसरों का प्रतिवादी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2015 पूर्णतया विधिसम्मत है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाद संख्या 64/2005 उनवानी धूणीलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह मे दिनांक 03.09.2015 को पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त/मन्सूख किया जाना उचित नहीं पाता हूॅ।
8. प्रार्थीगण ने अपने न्यायिक दृष्टांत के रूप में RRT 2012 (1) Page 118, RRT 2012 (1) Page 477, RRT 2012 (1) Page 668 आदि पेश किये जो प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

आदेश

प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत मन्सूखी एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2015 बमुकदमे संख्या 64/2005 उनवानी धूणीलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम में दिनांक 21.05.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर